

# समाहरणालय, जहानाबाद।



फोन न० :- 06114-223001, 223072

पत्रांक-V-10/2014/124/जि.सा.सु.को.

फैक्स न० :- 06114-223142

दिनांक 19-3-2016 मार्च, 2016 ई०

ई० मेल :- dm\_jehanabad.bih@nic.in

## संयुक्त आदेश

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 464 दिनांक 16.03.2016 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम 20 मार्च-16 से 30 मार्च-16 की अवधि में शिविर के माध्यम से किया जाना है। जिले में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित सभी सात प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (ई०गा०रा० वृद्धावस्था पेंशन/ ई०गा०रा० वृद्धावस्था पेंशन 80 वर्ष से ऊपर/ ई०गा०रा० विधवा पेंशन/ ई०गा०रा० निःशक्तता पेंशन/ बिहार निःशक्तता पेंशन/ राज्य लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन/ राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) के पेंशनधारियों को पेंशन राशि नगद भुगतान पंचायत/वार्ड में शिविर आयोजित कर करने का निदेश प्राप्त है। जिले में नगद पेंशन भुगतान दिनांक 01.01.12 के प्रभाव से पायलेट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है। विदित हो कि सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक सं०-1/सा०सु० IGNOAPS-01/2011 स.क.-2264 दिनांक 25.09.2014 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2014 के प्रभाव से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60-79 वर्ष आयुवर्ग के सभी पेंशनधारी), इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों को 400/- (चार सौ) रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष से ऊपर के इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पेंशनधारियों को 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रति माह नगद पेंशन का भुगतान किया जाना है। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेशानुसार प्र०वि०प०/कार्य०पदा० शिविर लगाकर माह-अगस्त-15 से फरवरी-16 तक का पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माह फरवरी-16 के पूर्व का यदि कोई बकाया हो तो उसका पेंशन भुगतान भी समुचित जाँच एवं सत्यापनोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे।

भुगतान के बाद उसी दिन बार कोड मशीन से भुगतान संबंधी डाटा का अपलोडिंग की जाय।

प्र०वि०पदा० पेंशन भुगतान हेतु निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

### (क) कर्मियों की प्रतिनियुक्ति :-

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर पेंशन वितरण हेतु पंचायत सेवक/कर्मचारी/शिक्षा मित्र/विकास मित्र आदि की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार करेंगे एवं अपनी देख-रेख में भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

### (ख) पेंशन वितरण हेतु काउन्टर :-

पेंशन वितरण हेतु अलग काउन्टर की व्यवस्था करेंगे जहाँ क्रम से पेंशनधारी अपना हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान देते हुए राशि प्राप्त करेंगे।

### (ग) पेंशन वितरण :-

- नगद पेंशन भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार 500/- तथा 100/- के नगदी (Denomination) की व्यवस्था प्र०वि०पदा० बैंक से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार कर लेंगे ताकि वितरण में कोई व्यवधान नहीं हो। बैंक से शिविर तक राशि की सुरक्षा में विशेष सर्तकता की आवश्यकता है।
- वितरण के लिए पासबुक आपको उपलब्ध करा दी गई है। एम०आई०एस० पद्धति द्वारा तैयार की गई पेंशन पासबुक का वितरण अनिवार्य रूप से सम्बन्धित पेंशनधारियों के बीच भुगतान तिथि से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे। सभी पेंशनधारी वितरण तिथि को पासबुक के साथ प्रातः 9.00 बजे शिविर में उपस्थित हों इसके लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

